न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–258/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00262)

01. रामफुल पुत्र स्व. श्री नारायण उम्र 52 वर्ष, जाति मीना,
02. रमसी पुत्र स्व. श्री नारायण उम्र 40 वर्ष, जाति मीना,
03. श्रीमती गोविन्दी पत्नी स्व. श्री सुण्डाराम उम्र 65 वर्ष, जाति मीना,
04. छीतर पुत्र स्व. श्री सुण्डाराम उम्र 45 वर्ष, जाति मीना,
05. रामजीलाल पुत्र स्व. श्री सुण्डाराम उम्र 42 वर्ष, जाति मीना,
06. दुर्गा पुत्र स्व. श्री सुण्डाराम उम्र 39 वर्ष, जाति मीना,
07. छोटीलाल उर्फ राजाराम पुत्र स्व. श्री सुण्डाराम उम्र 36 वर्ष, जाति मीना,
08. ग्यारसा पुत्र स्व. श्री भैरू उम्र 70 वर्ष, जाति मीना,
09. छाजू पुत्र स्व. श्री नानगराम उम्र 50 वर्ष, जाति मीना,
10. बरदीचनद पुत्र स्व. श्री नानगराम उम्र 48 वर्ष, जाति मीना,
11. लालाराम पुत्र स्व. श्री नानगराम उम्र 46 वर्ष, जाति मीना,
12. श्रीमती लाली पत्नी स्व. कैलाश उम्र 35 वर्ष, जाति मीना,
13. गणेश पुत्र स्व. श्री कैलाश उम्र 16 वर्ष जाति मीना जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता श्रीमती लाली पत्नी स्व. श्री कैलाश,
14. गिरधारी पुत्र स्व. श्री नानगराम उम्र 40 वर्ष, जाति मीना,
15. प्रताप पुत्र. स्व. श्री मांगू उम्र 70 वर्ष, जाति मीना,
16. कालू पुत्र स्व. श्री मांगू उम्र 65 वर्ष, जाति मीना,
17. हनुमान पुत्र स्व. श्री धन्नालाल उम्र 65 वर्ष, जाति मीना,
18. बद्री पुत्र स्व. श्री धन्नालाल उम्र 60 वर्ष, जाति मीना, समस्त निवासीयान चक इन्द्रगढ (बाढ इन्द्रगढ) नजदीक ग्राम कांकरेल, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर व हाल निवासीगण ग्राम कांकरेल, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. श्रीमती गोविन्दी देवी पत्नी स्व. श्री नारायण सहाय उम्र–वर्ष, जाति मीना निवासी वार्ड नम्बर 49, केशव पार्क विस्तार केशव विधापीठ जयपुर जिला जयपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार आमेर जिला जयपुर स्थित कार्यालय तहसील भवन आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

----कंटेस्टेड रेस्पोडेन्ट

03. विरेन्द्र पुत्र स्व. श्री धन्नालाल बागडी उम्र 50 वर्ष,
04. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री धन्नालाल बागड़ी उम्र 48 वर्ष, समस्त जाति मीना निवासीयान मकान नम्बर 171, दरबार स्कूल के पास, जलूपूरा जयपुर महानगर जयपुर।

निर्णय

दिनांकः 08.07.2019

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर के आदेश दिनांक 19.06.2018 (प्रकरण संख्या

P.T.O.

27/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विरूद्ध एवं कानून के स्थापित सिद्धान्तों और आज्ञात्मक व प्रावधानों के विरूद्ध एवं उनकी अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 पारित किया है जो हर सूरत में अपास्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के आस–पडौस के खातेदार व गैर खातेदार काश्तकारों की इस मामले बाबत कोई स्वतंत्र साक्ष्य नही है और अपीलान्ट्स लगभग 50 वर्ष पुराने सुस्थापित कब्जे काश्त व खरीदशुदा भूमि को जो कि अपीलान्ट्स के अर्से दराज से कृषि कार्य व रिहायश आदि के उपयोग–उपभोग में शन्तिपूर्ण रूप से बिना किसी बांधा के काम में लेते चले आ रहे है जो कि अपीलान्ट्स की सम्पत्ति रही है तथा केवल मात्र कयास के आधार पर अपीलाट्स के विरूद्ध निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी कानूनी भूल की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का भी अवलोकन नही किया गया और सीमाज्ञान व फर्द मौका रिपोर्ट आदि सभी अपूर्ण है और वर्तमान में खरीफ फसलों की बिंजाई हो चुकी है इसके फसल खराब होने का भी डर है और न ही कानूनी रूप से खड़ी फसल में न जरीब चलाई जा सकती है और न ही सीमाचिन्ह ही प्राप्त किये जा सकते है फिर भी आदि अधुरी पत्रावली मौजूद होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जिन आधारों पर पत्थरगढी के आदेश दिये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित आराजीयात की सीमाओं पर अपीलान्ट्स की आराजीयात भी है और विवादित आराजी पर लगभग 50 वर्षे से जरिये इकरारनामा खरीद कर काबिज काश्त है, अपीलान्ट शन्तिपूर्ण रूप से बिना बांधा के उपयोग उपभोग कर रहे है तथा अपना जीवनयापन कृषि कार्य के साथ करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर भौतिक अधिपत्य विवादित आराजीयात का अपीलान्ट्स का ही है, इस तथ्य को प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से पूर्ण रूप से छुपाया है और साथ ही अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अधिकारियों ने भी प्रत्यर्थीगण की विधि विरूद्ध मदद की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 अपास्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजीयात के मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है और न ही प्रत्यर्थीगण ने अपीलान्ट्स को पक्षकार ही बनाया है अर्थात अपीलान्ट्स को पक्षकार न बनाये जाकर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अपने आप में प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से हर सूरत में अपास्तनीय है चूँकि अपीलाट्स इस

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में अपीलान्ट्स को पक्षकार नही बनाया है जबकि अपीलान्ट्स पड़ौसी खातेदार काश्तकार है जिन्हे बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।